(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 32 / 2024 **दायर दिनांकः 05.04.2024**

उनवान

1. मंजुबाई पुत्री मानसिंह जाति गुर्जर नि. सांगरिया तहसील सुनेल

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वकील प्रार्थी :— श्री अशोक पाटीदार

अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 31.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह की राजस्व ग्राम दांता तह० पिड़ावा की खाता संख्या 598 सम्बत् 2075—2078 खसरा न० 93 रकबा 0.7208 में प्रार्थिया का नाम कन्याबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर दर्ज है। यह की प्रार्थिया का सही माम मंजूबाई पुत्री मानसिह पत्नी प्रेमनारायण है जो उसके आधार कार्ड, जनआधार, राशन कार्ड एवम् अन्य सरकारी दस्तावेज में दर्ज है परन्तु जमाबंदी में दरामद करते समय राजस्व कर्मचारियो ने सही जानकारी किये बिना प्रार्थिया का नाम जमाबंदी में कन्याबाई दर्ज कर दिया जो गलत है। यह की प्रार्थिया की कृर्षि आराजी में गलत नाम कन्याबाई दर्ज होने से प्रार्थिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि व सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जा रही रियायतो को प्राप्त नहीं कर पा रही है। यह की प्रार्थिया अपने खाते की कृषि आराजी मे दर्ज गलत नाम कन्याबाई की जगह सही नाम मंजूबाई दर्जा करवाने की पात्रता रखती है। जिससे वह सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जा रही रियायतो को प्राप्त कर अपनी कृर्षि आराजी को उन्नत कर सके। यह की कृर्षि आराजी ग्राम दांता तहसील पिड़ावा में स्थित होने से माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।. अतः श्रीमान की सेवामे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम दांता की जमाबंदी खात संख्या 598 सम्वत 2075–78 के ख.नं. 93 मे प्रार्थिया का नाम कन्याबाई की जगह मंजुबाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1233 दिनांक 18.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2075–2078 में कन्याबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर हिस्सा 1/7 खाता स. 598 खसरा न0 93 रकबा 0.7208 दर्ज हैं। जमाबन्दी में दर्ज नाम कन्याबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर ग्राम दांता के नामा० स० 1164 फोती इन्तकाल से मानसिह के वारिसान से दर्ज हुआ। मुताबिक ग्रामवासियान द्वारा बताये अनुसार कन्याबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर पत्नी प्रेमनारायण जाति गुर्जर तथा मंजूबाई पुत्री मानसिह पत्नी प्रेमनारायण जाति गुर्जर दोनो एक महिला हैं। अतः मुताबिक ग्राम वारिसान बताये अनुसार उक्त दोनो एक ही नाम होने से कन्याबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर की जगह मंजूबाई पुत्री मानसिह जाति गुर्जर दर्ज करने योग्य हैं।

3. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दांता की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 598 की प्रमाणित नकल, मंजुबाई का आधारकार्ड (924098194176), जनाधार कार्ड (4882337282) एवं परिवार राशनकार्ड (010510100050) की छायाप्रतियां पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का दांता की रिपोर्ट, ग्राम दांता का नामा.सं. 1164 दिनांक 26.05.2011 एवं खाता सं. 596 की सत्यप्रति पेश की।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कथन किया कि ग्राम दांता के खाता सं. 596 के ख.नं. 93 रकवा 0.7208 में प्रार्थीया का नाम कन्यावाई पुत्री मानसिंह दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मंजुबाई पुत्री मानसिंह है। प्रार्थीया के आधारकार्ड (924098194176), जनाधार कार्ड (4882337282) एवं परिवार राशनकार्ड (010510100050) में प्रार्थीया का सही नाम मंजुबाई अंकित है। इसलिए ग्राम दांता के खाता सं. 596 के ख.नं. 93 रकवा 0.7208 में प्रार्थीया का नाम कन्याबाई पुत्री मानसिंह के स्थान पर मंजुबाई पुत्री मानसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि ग्राम दांता में प्रार्थीया के पिता का मानसिंह का फोती नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का कन्याबाई पुत्री मानसिंह गलत नाम दर्ज कर दिया जिससे ग्राम दांता के खाता सं. 598 की कृषि भूमि में प्रार्थीया का गलत नाम दर्ज रिकार्ड हो गया। प्रार्थीया के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थीया को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पिता मानसिंहजी की मृत्यु के पश्चात फोती नामान्तरण दर्ज करते समय नामा० सं० 1164 दिनांक 26.05.2011 से प्रार्थिया का नाम कन्याबाई पुत्री मानसिंह दर्ज हुआ। प्रार्थीया के आधारकार्ड (924098194176), जनाधार कार्ड (4882337282) एवं परिवार राशनकार्ड (010510100050) में प्रार्थीया का सही नाम मंजुबाई अंकित है। ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी अनुसार भी प्रार्थीया का सही नाम मंजुवाई है। कन्याबाई पुत्री मानसिंह पत्नि प्रेमनारायण और मंजुवाई पुत्री मानसिंह पत्नि प्रेमनारायण एक ही महिला हैं। अतः प्रार्थीया के फोती नामान्तरण दर्ज करने में की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दांता के नामा.सं. [illegible]4 दिनांक 26.05.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया के पिता मानसिंह पुत्र उदा गुर्जर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

फोती नामान्तरण दर्ज करते समय वारीसान को जो शजरा अंकित किया है उसमें प्रार्थीया का नाम कन्याबाई दर्ज कर दिया है। नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीया के पिता मानसिंह पि. उदा गुर्जर के वारीसान को जो शजरा अंकित किया है उसमें प्रार्थीया का नाम कन्याबाई दर्ज कर दिया गया जो राजस्व कार्मिको द्वारा प्रविष्टि अंकन में की गई त्रुटी जाहिर होती है। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त नामान्तरण को दर्ज करते समय मानसिंह पि. उदा गुर्जर के वारीसान के सही नाम की जानकारी प्राप्त किये बिना ही बिना किसी आधार पर प्रार्थीया का गलत नाम दर्ज कर दिया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर नाम दुरूस्त करने की सहमति दी है। राजस्व विभाग द्वारा बिना आधार के की गई त्रुटी के लिए प्रार्थी खातेदार को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम दांता के खाता सं. 596 के ख.नं. 93 रकबा 0.7208 हैं कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम दांता के खाता सं. 596 के ख.नं. 93 रकबा 0.7208 हैं कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम कन्याबाई के स्थान पर मंजुबाई उर्फ कन्याबाई पुत्री मानसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:27 IST
Reason: Self Attested

(दिनेश कुमार ..., आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला ... उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner